

पत्रांक:- सी0एफ0ओ0-न-6(इ0)/2021
सेवा में,

दिनांक-सितम्बर 23, 2021

Owner/Manager,
UTTARAKHAND OPEN UNIVERSITY,
TEENPANI BYPASS, NEAR TRANSPORT NAGAR,
HALDWANI, DISTT-NAINITAL, UTTARAKHAND.

विषय:- अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण कर अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने विषयक।

कृपया उपरोक्त विषयक एवं आवेदक द्वारा किए गये आवेदन पत्र सं0-48968891 दिनांक:-18.09.2021 के परिपेक्ष्य में इस कार्यालय के निर्गत आदेश दिनांक:19.09.2021 के अनुपालन में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी हल्द्वानी द्वारा UTTARAKHAND OPEN UNIVERSITY, TEENPANI BYPASS, NEAR TRANSPORT NAGAR, HALDWANI, का प्राथमिक अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से किये गये निरीक्षण के अनुसार वर्तमान में निम्नांकित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था पाई गई।

1. परिसर में अण्डर ग्राउण्ड रिजर्व वाटर टैंक 50 हजार लीटर क्षमता, ओवर हैड रिजर्व वाटर टैंक 02 लाख ली0 क्षमता एवं इलै0 पम्प का प्राविधान किया गया है।
2. संस्थान परिसर में 30 अदद ए0बी0सी0 टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर-09 किग्रा क्षमता, 15 अदद ए0बी0सी0 टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर-04 किग्रा क्षमता, 15 अदद सीओटू टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर 4.5 किग्रा क्षमता, 05 अदद एएफएफएफ टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर 09 ली0 क्षमता एवं 04 अदद होजरील मय फिटिंग्स का प्राविधान किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त संस्थान का किसी भी कार्य दिवस में मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण किया जा सकता है साथ ही निर्देशित किया जाता है कि -

1. संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण किये जाने की दशा में तदनुसार NBC-2016 के Part-04 में निहित मानको के अनुसार अतिरिक्त अग्निसुरक्षा व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा।
2. संस्थान/परिसर में मानक के अनुसार परिसर में स्थापित अण्डर ग्राउण्ड रिजर्व वाटर टैंक के उक्त में डीजल, जॉकी पम्प एवं टैरेस पम्प का प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा।
3. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैटबैक तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जायें।
4. आपके संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यंत्रों का सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
5. विद्युत स्विच बोर्ड/विद्युत पैनल के आस-पास तथा निकास मार्ग, भवन सैट बैक क्षेत्र में किसी समाग्री का भण्डारण नहीं किया जायेगा, भण्डारण किये जाने पर यह प्रबन्धन की लापरवाही मानी जायेगी तथा भविष्य में अग्निदुर्घटना घटित होने पर बीमा दावे हेतु संस्तुति नहीं की जायेगी।
6. प्रत्येक वर्ष इस कार्यालय से अग्निशमन यंत्रों का परीक्षण कराकर (नियमानुसार (10 रु0 प्रति फायर एक्सटिंग्यूशर टैस्टिंग शुल्क) निर्धारित शुल्क-(फायर सर्विस हैड 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 60 अन्य सेवाये , 109 अग्नि से संरक्षण एवं नियन्त्रण कराया जायेगा) अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण-पत्र नवीनीकृत नहीं कराये जाने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः ही निरस्त: समझा जायेगा।
7. निर्गत अग्निसुरक्षा प्रमाण-पत्र का उपयोग किसी अवैध निर्माण/कब्जे को नियमित करने के लिए मान्य नहीं होगा।

अतः इस कार्यालय से दिये गये निर्देश/सुझाव तथा शर्तों का पालन किए जाने एवं प्रभारी अग्निशमन अधिकारी हल्द्वानी द्वारा मुझ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित संस्तुति आख्यां पत्रांक-न-/फा0स0/2021 के आधार पर UTTARAKHAND OPEN UNIVERSITY, TEENPANI BYPASS, NEAR TRANSPORT NAGAR, HALDWANI, को दिनांक-23 सितम्बर 2021 से 22 सितम्बर 2022 तक अधिभोग (Occupancy)/अध्यासन किए जाने हेतु अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

23.5.21
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुख्य नैनीताल (हल्द्वानी) गरी
नैनीताल हल्द्वानी